Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 17, Issue No. 1, April-2020, ISSN 2230-7540

भारत पर विदेशी ऋण

Dr. Swathi Sharma*

Assistant Professor (Economics), Dr. Radhabai Govt. Navin Girls College, Raipur, Chhattisgarh

संक्षेपिका - ***आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अल्पविकसित देश की विकसित देश परिवर्तित होने की प्रक्रिया जटिल होती है। मजबूत आर्थिक स्थिति, उच्च आय और जीवन स्तर मजबूत अधो -संरचना, आधुनिक यातायात, परिवहन व संचार के साधन, पर्याप्त ऊर्जा, समस्त उत्पादन के साधनों का कुशलता पूर्वक दोहन जैसे अनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है। परंतु पूंजी की कमी निम्न आय, कम बचत और विनियोग जैसी समस्या के साथ वित्त की व्यवस्था जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने, कुल उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने तथा आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए सरकार के द्वारा सार्वजनिक ऋणों का प्रयोग किया जाता है तांकि देश वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सामाजवादी व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकें।***

कुंजी शब्द - ***विदेशी ऋण, ऋणभार, आर्थिक विकास***

----------X----------

प्रस्तावना

आधुनिक सरकारों की वित्त व्यवस्था का एक मुख्य अंग सार्वजनिक ऋण है। सार्वजनिक ऋण से तात्पर्य सरकार द्वारा लिए गए ऐसे ऋणों है जो आकस्मिक व अस्थाई परिस्थतयों व आवश्यकताओं, आर्थिक विकास और उत्पादन तथा सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को पूर्ण करने के उद्देश्य से लिए जाते है। एक विकासान्मुख देश के लिए ऐसे ऋण लेना और भी आवश्यक होता है क्योंकि यह देश करारोपण द्वारा अधिक आय प्राप्त करने में सफल नहीं होते क्योंकि निम्न आय बचत और विनियोग विकास में अवरोधक का कार्य करते है। सार्वजनिक ऋण दो रूपो में प्राप्त किए जा सकते है आंतरिक ऋण व बाह्य ऋण। आंतरिक ऋण वह ऋण होते है जो देश नागरिकों से लिए जाते है। आंतरिक ऋण की प्राप्ति तभी हो सकती है जब देश के नागरिकों के पास पर्याप्त धन हो तथा वे पूँजी के रूप में विनियोजित करने के इच्छुक हो। आंतरिक ऋणों से धन का पुर्नवितरण होता है तथा इन ऋणों का प्रत्यक्ष भार नही पड़ता परंतु वास्तविक भार उन ऋणों के प्रयोग पर निर्भर करता है। बाह्य ऋण वह ऋण होते है जा अन्य देशों, अंतराष्ट्रीय संस्थाओं या विदेशी बैंकों से लिए जाए। किसी भी देश की विदेशी ऋण या बाह्य ऋण लेने की शक्ति उसकी वित्तीय स्थिति, राजनैतिक, स्थिरता और साख पर निर्भर करती है। यह विदेशी ऋण विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त होता है। जिसका प्रयोग आर्थिक विकास तथा आवश्यकता पड़ने पर विनियम दर को स्थिर करने और भुगतान सतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। कोई भी देश असिमित मात्रा में विदेशी ऋण नहीं ले सकता क्योंकि एक निश्चित समयावधि के बाद इन ऋणों को मूलधन तथा ब्याज सहित लौटाना आवश्यक होता है जिसका मौद्रिक तथा वास्तविक भार देश के नागरिको को वहन करना पड़ता है। जो देश के नागरिकों की कार्य करने, बचत करने ओर विनियोज करने की क्षमता को प्रभावित करता है।

भारत एक विकासशील देश है तथा आर्थिक विकास की इस प्रक्रिया में भारत ने भी विदेशी ऋण का व्यापक प्रयोग किया है। विदेशी ऋणों का प्रयोग भारत में पूंजी निर्माण की गति की तीव्र करने, आधारभूत संरचनाओं का विकास, औद्योगीकरण, आधुनिक तकनीक का प्रयोग तथा प्रशिक्षण, पूंजीगत वस्तुओं के आयात, सामाजिक कार्यो, प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने तथा आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए किया है। विदेशी ऋण को राजनैतिक मित्रता, निर्भरता, पारस्पारिक सहयोग व भाई चारों की भावना उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विदेशी ऋण नागरिकों के लाभार्थ हेतु ही व्यय किया जाता है अतः जब ऋण लौटाते है तो उसका भार भी नागरिकों पर पड़ता है। मौद्रिक व वास्तविक भार इस बात पर निर्भर करता है। कि उन ऋणों को उत्पादन कार्यो में लगाया गया है या अनुत्पादक कार्यो पर। उत्पादक कार्यो पर लगाए जाने से वह मूलधन तथा ब्याज लौटाते में

सहायक होंगें पर परंतु अनुत्पादक कार्य पर लगाए जाने से उसका प्रत्यक्ष व वास्तविक भार नागरिकों पर पड़ेगा हाल के वर्षो में भारत के कुल ऋण की स्थिति निम्न है-

तालिका क्र. -1

भारत पर कुल ऋण

वर्ष	GDP के अनुपात में कुल ऋण (प्रतिशत के रूप में)
2012-13	67
2013-14	67.4
2014-15	66.8
2015-16	68.8
2016-17	68.4
2017-18	68.7
2018-19	68.6

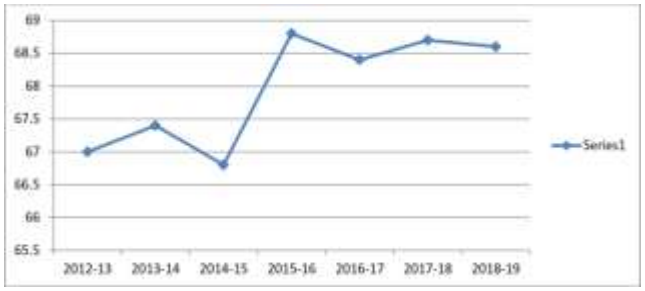

GDP के अनुपात में ऋण की गणना हेतु देश के ऊपर कुल कर्जे को देश की GDP से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। देश का सार्वजनिक ऋण जो 2012-13 में 67 प्रतिशत था वो 2018-19 में 68.6 प्रतिशत अर्थात् 13 ट्रिलियन रूपये हो गया है।

भारत के कुल ऋण में विदेशी ऋण की स्थिति निम्नानुसार है -

तालिका क्र. -2

भारत पर विदेश ऋणा (बिलियन डॉलर)

वर्ष	बिलियन डॉलर
2012-13	409.4
2013-14	446.2
2014-15	474.7
2015-16	485.6
2016-17	471.8
2017-18	495.7
2018-19	513.3

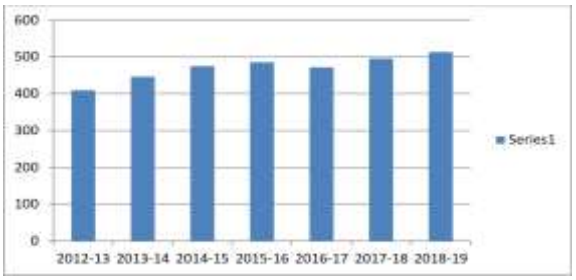

विश्व में सबसे अधिक ऋण लेने वाला देश जपान है फिर अमेरिका, ब्राजील और भारत कर ऋण है। भारत का विदेशी 1991 में 85 बिलियन डॉलर था जो 2011 में बढ़कर 317 बिलियन डॉलर 2018-19 में 513.3 बिलियन डॉलर हो गया इसमें अल्पकालीन ऋण 12.3 प्रतिशत तथा दीर्घकालीन ऋण 80 प्रतिशत है।

तालिका क्र.-3

GDP के प्रतिशत के रूप में विदेशी ऋण

वर्ष	GDP के अनुपात में कुल ऋण (प्रतिशत के रूप में)
2012-13	22.4%
2013-14	23.9%
2014-15	23.9%
2015-16	23.5%
2016-17	20.2%
2017-18	20.5%

2012-13 में विदेशी ऋण 22.47 था जो 2017-18 में GDP के 20.5 प्रतिशत पर आ गया। GDP के प्रतिशत के रूप में विदेशी ऋण का प्रतिशत कम होता प्रतीत होता है परंतु वास्तविक रूप से GDP का आकार निरंतर बढ़ रहा है यह उसके अनुरूप विदेशी ऋण का GDP से अनुपात लगभग स्थिर है।

निष्कर्ष

(1) देश के नागरिकों पर लगातार बढ़ता ऋण भार

(2) आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा मिला है।

(3) ब्याज की अदायगी में ज्यादा राशि का व्यय होना।

(4) बढ़ती हुई वाणिज्यक उधारियों ऋण के भार में वृद्धि की है।

www.ignited.in

(5) बाजार का विस्तार और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ने भी विदेशी ऋण में वृद्धि की है।

विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी ऋण कभी भी 77 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होने चाहिए भारत ने अपने GDP के 20.6 प्रतिशत के बराबर कर्ज ले लिया है अतः अब वह कर्ज लेने की उच्चतम सीमा के काफी दूर है परंतु फीर भी उस ऋण के नियंत्रण व निवारण के उपाय अपनाने होगें जिसके सुझाव निम्न है:-

सुझाव

(1) गैर विकासात्मक व्यय को कम करना

(2) आंतरिक साधनों का अधिक मितव्यतापूर्वक प्रयोग

(3) देश से विदेश में होने वाले पूंजी प्रवाह को सिमित करना

(4) निर्यात संवेदन तथा आयात प्रति स्थापना को बल देना।

(5) विदेशी ऋणों को अधिक उत्पादन कार्यों में लगाना।

(6) आंतरिक ऋण को प्राथामिकता देना

संदर्भ ग्रंथ सूची

(1) आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19

(2) प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक

(3) मिश्र व पुरी- भारतीय अर्थव्यस्था

(4) दत्त व सुंदरम भारतीय अर्थव्यस्था

(5) स्टेटस रिपोर्ट और गर्वनमेंट डेब्ट फॉर 2018-19

Corresponding Author

Dr. Swathi Sharma*

Assistant Professor (Economics), Dr. Radhabai Govt. Navin Girls College, Raipur, Chhattisgarh